छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –311 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2024-02446**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''गोल्डन आर्केड'', प्रमोटर–नीलम होम्स प्रोजेक्ट प्रा.लि., द्वारा–श्री अमरजीत छाबड़ा, पता–बी–03, द्वितीय तल, श्याम प्लाजा, पण्डरी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''गोल्डन आर्केड'' पता–कोटा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/07/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''गोल्डन आर्केड'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA230718000631** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 23.07.2018 से पंजीकृत किया गया है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं परिपत्र क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 16.06.2024 के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 26.06.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन करते हुये सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 03.10.2022 को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई है। अनावेदक द्वारा वार्षिक विवरण रिपोर्ट वर्ष 2021–2022 भी प्राधिकरण के वेबपोर्टल	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –311 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2024-02446**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''गोल्डन आर्केड'', प्रमोटर–नीलम होम्स प्रोजेक्ट प्रा.लि., द्वारा–श्री अमरजीत छाबड़ा, पता–बी–03, द्वितीय तल, श्याम प्लाजा, पण्डरी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''गोल्डन आर्केड'' पता–कोटा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	पर अपलोड की गई है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	